जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 08.03.2023**

आज दिनांक 08.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता गीता देवी पत्नी रामशब्द निवासी भेड़ौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 47/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

गिरफ्तारी टीम – हे0का0 रामजतन प्रजापति, का0 रविकांत भारती, म0आ0 कोमल देवी।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3311 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल महिला को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी 3311 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत छपरा पूर्वी से इवेन्ट संख्या 12149 से कालर ने मारपीट / विवाद में 01 महिला के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 07 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल महिला को जरिए एंबुलेंश से सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल महिला को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 मनीष कुमार सिंह, हो0चा0 धर्मेन्द्र कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 24 वाहनो से 21,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 24 वाहनों से 21,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।